उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4

संख्याः 42/2015/क0नि0-4-1529(1)/11-2015-300(29)/2014

लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2015

शुद्धि पत्र

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2015 से दिनांक 31-3-2016 की अवधि में वाणिज्य कर विभाग में आनलाइन सेवाओं के अन्तर्गत बल्क पुश एस0एम0एस0 सुविधा पर होने वाले व्यय रूपये 8,82,322.00 (रू0 आठ लाख बयासी हजार तीन सौ बाईस मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण किये जाने विषयक शासनादेश संख्याः 41/2015/क0नि0-4-1529(1)/11-2015-300(29)/2014, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के प्रस्तर-4 की प्रथम पंक्ति में त्रुटिवश, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के स्थान पर वर्ष 2014-15 अंकित हो गया है।

2- उक्त त्रुटि का निराकरण हेतु शासनादेश संख्याः 41/2015/क0नि0-4-1529(1)/11-2015-300(29)/2014, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के प्रस्तर-4 की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित वर्ष 2014-15 के स्थान पर "वर्ष 2015-16" प्रतिस्थापित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के शेष अंश यथावत् बने रहेगें।

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव।

संख्या-42/2015/क0नि0-4-1529(1)/11-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in